भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2135

सोमवार, 5 अगस्त, 2024 / 14 श्रावण, 1946 (शक)

पीएम-एसवाईएम का उद्देश्य

2135. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना का उद्देश्य क्या है;

(ख) पीएम-एमवाईएम के अब तक हुए व्यय और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत अब तक नामांकित असंगठित कामगारों का विशेषकर कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आबंटित निधि और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है और आवंटित धनराशि, के कम उपयोग के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना में और अधिक असंगठित कामगारों को भर्ती करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना फरवरी, 2019 में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत अब तक नामांकित असंगठित कामगारों की संख्या 30-07-2024 की स्थिति के अनुसार लगभग 50.15 लाख (लगभग 5 लाख के थोक पंजीकरण सहित) है।

कर्नाटक राज्य में पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 1,42,067 है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

यह योजना मांग आधारित है और बजट का उपयोग मांग के अनुसार किया जाता है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना हेतु आबंटित निधियों और आबंटित निधियों में से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट में आवंटित निधि (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2021-22	400	324.23
2022-23	350	269.91
2023-24	350	162.51

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे योजना को लोकप्रिय बनाएं और पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए लक्षित समूहों/पात्र कामगारों को जुटाएं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने पीएम-एसवाईएम योजना के कार्यान्वयन में सहयोग किया है और असंगठित कामगारों को जुटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने भी पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना का प्रचार करना जैसी कई पहलें की हैं।

* *****

अनुबंध

'पीएम-एसवाईएम का उद्देश्य' के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2135 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य	पंजीकरण
1	हरियाणा	825595
2	उत्तर प्रदेश	680077
3	महाराष्ट्र	610686
4	गुजरात	389852
5	छत्तीसगढ	231426
6	बिहार	219396
7	ओडिशा	187067
8	मध्य प्रदेश	180554
9	आंध्र प्रदेश	170981
10	राजस्थान	144483
11	कर्नाटक	142067
12	झारखंड	136471
13	पश्चिम बंगाल	116552
14	जम्मू और कश्मीर	74584
15	तमिलनाडु	68161
16	पंजाब	58864
17	हिमाचल प्रदेश	47714
18	तेलंगाना	42839
19	असम	41771
20	उत्तराखंड	39397
21	त्रिपुरा	33664
22	केरल	15751
23	दिल्ली	10755
24	पुदुचेरी	6455
25	मणिपुर	5919
26	मेघालय	5884
27	नागालैंड	4998
28	चंडीगढ़	4361
29	अरुणाचल प्रदेश	2977
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2350
31	गोवा	2003
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1656
33	मिजोरम	1558
34	लद्दाख	1435
35	सिक्किम	329
36	लक्षद्वीप	21
	थोक नामांकन	506603
	कुल	5015256

*****